6-6-2017	पत्रावली कोर्ट केम्प ज्वाद आज के टूर-2017 केम्प कोटड़ी में दिनांक 6.6.2017 को प्रस्तुत हुई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णीत किया गया। निर्णय अलग से लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	काल् उपखण्डाधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :- 66/2017

1. श्री बालु पिता खेमा चौधरी, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री नाथुलाल पिता खेमा चौधरी, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री सुखदेव पिता खेमा चौधरी, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री गणेश पिता खेमा चौधरी, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री किशन पिता नारू गाडरी, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री खेमा पिता घीसा जाट, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री उदा पिता भुरा भील, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री पन्ना पिता गोकल कुमावत, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री जब्बर सिंह पिता चन्दन सिंह राजपूत, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू.—राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 06.06.2017

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज. भू. —राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 17.03.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सालमपुरा, पटवार हल्का कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 218 रकबा 01—15 बीघा, आराजी संख्या 219 रकबा 03—09 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 05—04 बीघा भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थीगण अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थीगण स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम सालमपुरा, पटवार हल्का कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 218 रकबा 01—15 बीघा, आराजी संख्या 219 रकबा 03—09 बीघा, कुल किता 02 कुल रकबा 05—04 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 600/— अक्षरे छह सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा करायें, साथ ही कमिश्नर फीस 500/— रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 06.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)